स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
व्यवसाय आचार संहिता और नीतियाँ
(बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक)

1.0 प्रस्तावना

1.1 यह कोड स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (यहाँ इसके बाद कम्पनी संबोधित) के बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के व्यवसाय आचार संहिता और नीतियाँ कहलायेगा ।

1.2 इस कोड का उद्देश्य कम्पनी के मामलों के प्रबंधन में व्यावसायिक उचित अनुचित और पारदर्शी प्रक्रिया बढ़ाना है ।

1.3 बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु यह कोड स्टॉक एक्सचेंज के सूचीबद्धता करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुपालन में और सार्वजनिक उद्यमों के विभाग (डीपीई) के मार्गनिर्देशों के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया गया है।

1.4 15 दिसम्बर, 2010 से प्रभावी होगा ।

2.0 परिभाषाएँ

2.1 बोर्ड सदस्य से तात्पर्य कम्पनी के निदेशक मंडल के निदेशकों से है ।

2.2 संदर्भ पूर्णकालिक निदेशक या कार्यरत निदेशक से तात्पर्य है कम्पनी के निदेशक मंडल के वे निदेशक हैं जो कम्पनी के पूर्णकालिक रोजगार में हैं ।

2.3 संदर्भ अंशकालिक निदेशक से तात्पर्य उन निदेशकों से है जो कम्पनी के निदेशक मंडल में इसके पूर्णकालिक रोजगार में हैं ।

2.4 संदर्भ सम्बद्ध से तात्पर्य है वही होगा जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित है ।

2.5 संदर्भ वरिष्ठ प्रबंधन से तात्पर्य कम्पनी के उन कार्मिको से है जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसकी प्रमुख प्रबंधन समिति के सदस्य हैं और सभी कार्यरत प्रमुखों सहित पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे प्रबंधन के सभी सदस्य सहित शामिल होंगे ।

2.6 संदर्भ कम्पनी से तात्पर्य स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड से है।

3.0 लागू होना

3.1 यह कोड निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगा -

क) सभी पूर्णकालिक निदेशक जिनमें कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं ।

ख) सभी अंशकालिक निदेशक जिनमें कानून के प्रावधानों के अधीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं ।

ग) वरिष्ठ प्रबंधन

3.2 पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन को कम्पनी के अन्य लागू होने वाले नियमों पद्धतियों और नीतियों का पालन करना चाहिए ।

4.0 कोड का विषय

भाग - 1 सामान्य नैतिक तथ्य

भाग - 2 विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ

भाग - 3 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधनों हेतु विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

यह कोड व्यावसायिक कार्य को करने में उचित निर्णय लेने में आधार का कार्य करता है । यह व्यावसायिक उचित मानदण्डों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायतों के स्तर का निर्णय करने हेतु भी एक आधार का कार्य करता है ।

यह समझा गया है कि आचार संहिता और आचार प्रलेखों में कुछ शब्द और सुक्तिवाक्य विभिन्न परिभाषाओं के अधीन हैं । किसी प्रकार की उलझन के मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

भाग - 1

1.0 सामान्य नैतिक तथ्य

1.1 समाज और मानव के हित में योगदान

5.1.1 सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित यह सिद्धांत मूलभूत मानव अधिकारों और सभी संस्कृतियों के वैविध्य के संबंध में समान व्यक्त करते हुए उनकी सुरक्षा के लिए एक दायित्व सुनिश्चित करता है । हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिए कि हमारे प्रयासों के निष्कर्ष सामाजिक रूप से जिम्मेदारीपूर्ण रास्तों में प्रयोग किए जाएंगे जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं करेंगे और अन्य के

कल्याण में कार्य करेंगे । एक सुरक्षित सामाजिक पर्यावरण के अतिरिक्त मानवता में एक सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण भी शामिल है ।

5.1.2 इसलिए सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन जो कम्पनी के उत्पादों के अभिकल्पन विकास निर्माण और संवर्द्धन हेतु जिम्मेदार हैं उन्हें मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा के लिए वैधानिक रूप से और नैतिक रूप से सतर्क रहना चाहिए और अन्य को भी जागरूक बनाना चाहिए । ,

5.2 ईमानदार और विश्वसनीय बनें तथा एकता बनाए रखें

5.2.1 एकता और ईमानदारी विश्वास के आवश्यक संघटक हैं । विश्वास के बिना कोई भी संगठन प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर सकता ।

5.2.2 सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन से सार्वजनिक उद्यम के व्यवसाय को करते समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक एकता, ईमानदारी और नैतिक आचार के उच्चतम मानदण्डों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ।

1.2 भेदभाव रहित कार्रवाई करें और सही दिशा में कार्य करें

5.3.1 अन्य के लिए समानता सहनशीलता और समान का मूल्य तथा समानता और न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाति धर्म,आयु, असमर्थता, राष्ट्रीयता या इसी प्रकार के अन्य कारक इस आचार संहिता के उल्लंघन में हैं ।

5.4 गोपनीयता बनाए रखना

5.4.1 ईमानदारी का सिद्धांत सूचना की गोपनीयता के मुद्दे से जुड़ा हुआ है । नैतिक रूप से सम्बद्धता से तात्पर्य सभी शेयरधारकों की गोपनीयता से जुड़े हुए सभी दायित्वों के संबंध में प्रतिबद्धता है जब तक कि इस आचार संहिता के कानून और अन्य सिद्धातों की मांग द्वारा इस प्रकार के दायित्वों से मुक्त नहीं हुआ जाता ।

5.4.2 सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कम्पनी के व्यवसाय और मामलों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित सूचना की गोपनीयता को बनाए रखेंगे ।

5.5 शपथ और व्यवहार

5.5.1 गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में एकता और पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना ।

5.5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सतत प्रयास करना।

5.5.3 कम्पनी की बढ़ोतरी और प्रतिष्ठा के लिए जागरूक रहकर कार्य करना ।

5.5.4 संगठन को गौरवान्वित करना और कम्पनी के शेयरधारकों को मूल्य आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराना ।

5.5.5 बगैर किसी डर के या बगैर किसी का पक्ष लिए अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करना ।

भाग - 2

6.0 विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ

6.1 कम्पनी के दृष्टिकोण अभियान और मूल्यों को प्रत्येक दिवस जीना

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के दृष्टिकोण अभियान और मूल्यों को प्रत्येक दिवस जीना । संदर्भ हेतु वे निम्नलिखित हैं -

दृष्टिकोण एवं अभियान कथ्य :-

शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता व्यावसायिक उचित, अनुचित और सक्रिय उत्साह के समिश्रण से उत्कृष्टता के अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के साथ विश्व के एक सबसे बड़े व्यापारिक कम्पनी के रूप में उभरना ।

मूल्य

- परिवर्तन हेतु उत्कृष्टता और उत्साहपूर्वक कार्य को करने के प्रति प्रतिबद्धता
- सभी मामलों में एकता और उपयोगिता
- व्यक्तिगत रूप से सदाचार और आदर बनाए रखना
- प्रतिबद्धताओं के प्रति ईमानदार होना
- प्रतिउत्तर तीव्रगति से सुनिश्चित करना
- अधिगम सृजनात्मकता और दलगत कार्य
- कम्पनी में विश्वसनीयता और गर्व और प्रतिबद्धता

6.2 व्यावसायिक कार्य की प्रक्रियाओं और उत्पादों में दोनों में उच्चतर गुणवत्ता, प्रभावोत्पादकता और श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए प्रयास करना:- किसी भी व्यावसायिक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व शायद उत्कृष्टता है इसलिए प्रत्येक को अपने व्यावसायिक कार्य में उच्चतर गुणवत्ता, प्रभावोत्पादकता और श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए ।

6.3 व्यावसायिक सक्षमता प्राप्त करना और बनाए रखना:- उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो व्यावसायिक सक्षमता की प्राप्ति और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं । इसीलिए सभी से यह आशा की जाती है कि सक्षमता के उपयुक्त स्तरों के मानदण्डों को स्थापित करने में भागीदारी करें और उन मानदण्डों को प्राप्त करने का प्रयास करें ।

6.4 विधिक अनुपालन:- कम्पनी के बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्तमान स्थानीय राज्य, राष्ट्र और अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के सभी लागू होने वाले प्रावधानों का अनुपालन करेंगे । उन्हें कम्पनी के व्यवसाय से संबंधित नीतियों, पद्धतियों, नियमों और विनियमावली का अनुपालन और अनुसरण करना चाहिए ।

6.5 उपयुक्त व्यावसायिक समीक्षा स्वीकार करना और प्रदान करना :- गुणवत्ता युक्त व्यावसायिक कार्य, व्यावसायिक समीक्षा और टिप्पणियों पर निर्भर करता है । जब भी उपयुक्त हो प्रत्येक सदस्य को समीक्षा का उपयोग करना चाहिए और उनके कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा प्रदान करनी चाहिए ।

6.6 कार्यगत जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्मिकों और संसाधनों का प्रबंधन करना:- संगठनों के नेतृत्व की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि साथी कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल कार्य और व्यवसाय का वातावरण उत्पन्न हों ताकि वे अपना सर्वोत्तम प्रदान कर सकें । बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन सभी कर्मचारियों की मानवीय प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करने के द्वारा उनके व्यावसायिक विकास में सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे और उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ताकि कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि हो ।

6.7 प्रत्यक्ष व्यवहार और किसी भी लालच से बचना:- बोर्ड के सदस्य वरिष्ठ प्रबंधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार और अन्य संबंधियों के माध्यम से कम्पनी से

संबद्ध लेनदेनों के फलस्वरूप कोई भी व्यक्तिगत शुल्क कमीशन या किसी प्रकार की परिलब्धि नहीं लेंगे । इसमें उपहार या महत्वपूर्ण मूल्य के लाभ भी शामिल हैं जिन्हें समय के अनुसार बढ़ाया जा सकता है । जोकि संगठन के व्यवसाय को प्रभावित करें या किसी एजेंसी को संविदा प्रदान करने के संबंध में जिसका प्रभाव हो ।

6.8 कार्पोरेट अनुशासन बनाए रखना:- कम्पनी के भीतर संचार का प्रभाव उपयुक्त हो और लोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए सभी स्तरों पर स्वतंत्र हों । हालांकि किसी भी निर्णय पर पहुँचने के लिए मतों का एक स्वतंत्र आदान-प्रदान होता है किन्तु विचार-विमर्श की समाप्ति के बाद यदि कोई नीति निर्धारित की जाती है तो सभी को उसका अनुपालन करना चाहिए । हालांकि कुछ मामलों में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर सहमत न हो । कुछ मामलों में नीतियॉ कार्रवाई के लिए एक मार्गनिर्देश का कार्य करती हैं और कुछ अन्य मामलों में ये कार्रवाई पर एक प्रतिबंध लगाती हैं । सभी को इस तथ्य के अंतर को पहचानना चाहिए और इसकी सराहना करनी चाहिए कि इनका अनुपालन क्यों आवश्यक है ।

6.9 **ऐसी पद्धति में आचार हो जो कम्पनी के क्रेडिट को प्रदर्शित करता हो: -** सभी से ड्यूटी करते समय या ड्यूटी से एतर इस प्रकार का व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है जो कम्पनी के प्रति क्रेडिट दर्शाता हो । उनके व्यक्तिगत व्यवहार और अभिरूचि का कम्पनी के कुल प्रभाव पर अच्छा असर होता हो तथा यह भी कि संगठन और आम जन में उसे किस प्रकार लिया जाता है ।

6.10 **कम्पनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह बनें :-** वे सभी चाहे वो हमारे ग्राहक हों जिनके बगैर कम्पनी व्यवसाय नहीं कर सकती या शेयर धारक जो इसके व्यवसाय में महत्वपूर्ण धारिता रखते हैं या वे कर्मचारी जो कम्पनी के हित में कार्य कर रहे हैं, विक्रेता जो कम्पनी को समय पर डिलीवरी करने के लिए समर्थन करते हैं और वह समाज जिसके प्रति कम्पनी अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है वे सभी कम्पनी के हिस्सेदार हैं इसलिए सभी को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे कम्पनी के शेयरधारकों के प्रति जिम्मेदार हैं ।

6.11 **इंसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम:-** बोर्ड सदस्य और बोर्ड प्रबंधन कम्पनी की प्रतिभूतियों के साथ व्यवहार करते समय इंसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आंतरिक पद्धतियों और आचार की संहिता का पालन करेगा ।

6.12 **व्यावसायिक जोखिमों की पहचान करना और प्रबंधन:-** यह प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि वे व्यावसायिक जोखिमों की पहचान करने के लिए कम्पनी के जोखिम प्रबंधन ढाँचे का अनुसरण करें जो जोखिम कम्पनी के कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं तथा इस प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन की कम्पनी के अनुसार प्रक्रिया में मदद की जाए ताकि कम्पनी अपने व्यापक व्यवसायिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके ।

6.13 **कम्पनी की सम्पदा का संरक्षण:-** बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कम्पनी की प्रत्यक्ष परिसम्पतियों, सूचना और भौतिक अधिकार सहित कम्पनी की सम्पदा का संरक्षण करेंगे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनका उपयोग नहीं करेंगे ।

भाग - III

7.0 **बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान:-**

7.1 **बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में:-** वे बोर्ड और समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे ।

7.2 **बोर्ड सदस्य के रूप में**:-

7.2.1 वचन देते हैं कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/कम्पनी के सचिव को बोर्ड की स्थितियों में किसी परिवर्तन, अन्य व्यावसायियों के साथ संबंध और इन सब घटनाओं/ परिस्थितियों के बारे में सूचित करेंगे जिनसे उन्हें बोर्ड/बोर्ड समिति सम्बद्ध अपने कार्यों को करने के लिए अपनी क्षमता में हस्तक्षेप महसूस होता है और या जो बोर्ड के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं कि क्या वे डीपीई के मार्गनिर्देशों या स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्धता करार कि स्वतंत्र अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

7.2.2 वचन देते हैं कि बोर्ड के निस्वार्थ सदस्यों की पूर्व अनुमोदन के बिना वे अपने निहित स्वार्थो से बचेंगे । ऐसे निहित स्वार्थ उस समय विद्यमान होंते हैं जब उनके व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं जो कम्पनी के हितों से टकराते हैं । इनमें इस तरह के मामले हो सकते हैं:-

- **सम्बद्ध पार्टी लेनदेन** - उस कम्पनी या इसके अनुषंगियों के साथ कोई लेनदेन या संबंध स्थापित करना जिनके साथ वित्तीय हित हों या जिनके साथ उनके एक पारिवारिक सदस्य के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबध हों ।
- **बाह्य डायरेक्टरशिप:-** किसी अन्य कम्पनी के बोर्ड में निदेशक का पद स्वीकार करना जो कम्पनी के व्यवसाय के साथ प्रतियोगिता करती है ।
- **परामर्शदाता /व्यवसाय/रोजगार:-** किसी भी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त होना (चाहे वो परामर्श सेवाएँ प्रदान करने की प्रकृति ही हो या व्यवसाय चलाने के लिए हो या रोजगार से संबद्ध हो ।) जिससे कम्पनी के प्रति उनकी ड्यूटी/जिम्मेदारियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या उलझाव पैदा होता हो । उन्हें कम्पनी के किसी आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदाता या ग्राहक के साथ किसी भी रूप में सम्बद्ध नहीं होना चाहिए ।
- **व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु कार्यालयी स्थिति का दुरूपयोग:-** उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थो के लिए अपनी स्थिति का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए ।

7.3 व्यावसायिक आचार और उचित नीतियों का अनुपालन

7.3.1 कम्पनी के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्य इस कोड के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे और उनका संवर्द्धन करेंगे ।

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक उत्कृष्टता पर निर्भर करता है । बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए न केवल यह महत्वपूर्ण है कि इस कोड में अभिव्यक्त सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए बल्कि अन्य द्वारा भी इसे प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए ।

7.3.2 इस कोर्ड के उल्लंघन को संगठन के साथ सम्बद्ध सदस्य महत्वपूर्ण रूप में लें ।

नैतिकता के कोड से व्यवासायिकों का जुड़ाव बड़े तौर पर और सामान्यतया एक स्वैच्छिक मामला है तथापि, यदि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधनों में से कोई इस कोड का पालन नहीं करता है तो बोर्ड द्वारा मामले की समीक्षा की जाएगी और इसका निर्णय अंतिम होगा । कम्पनी को चूक करने वाले के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार है ।

7.4 विविध बिन्दु

7.4.1 कोड को निरंतर अद्यतन करना

यह कोड बोर्ड द्वारा अन्यथा रूप से आवश्यक समझे गए या कोई अन्य कानून में परिवर्तन, कम्पनी के दर्शन में परिवर्तन या इसके दृष्टिकोण, व्यवसायिक योजना अदि में परिवर्तन के संदर्भ में निरंतर समीक्षा और अद्यतन किए जाने के अधीन है तथा इस प्रकार के सभी संशोधन इनके उल्लेख किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

7.4.2 स्पष्टीकरण कहाॅ मांगे

बोर्ड या वरिष्ठ प्रबंधन के कोई भी सदस्य जो इस कोड के संदर्भ में कोई भी स्पष्टीकरण चाहते हैं कम्पनी सचिव / निदेशक मंडल द्वारा तैनात किए गए किसी विशिष्ट अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं ।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु

व्यावसायिक आचार और नीतियों के कोड की प्राप्ति पर स्वीकृति

मैंने स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बोर्ड के सदस्यों, वरिष्ठ प्रबंधनों हेतु व्यावसायिक आचार और नीतियों के कोड को प्राप्त कर लिया है और इसे पढ़ लिया है । मैं उक्त व्यावसायिक आचार और नीतियों के कोड में निहित मानदण्डों और नीतियों को समझता हूँ जो मेरे कार्य के लिए अतिरिक्त नीतियाँ या कानून हो सकते हैं । मैं आगे उक्त व्यावसायिक आचार और नीतियों के अनुपालन से सहमत हूँ ।

यदि मेरा उक्त व्यावसायिक आचार और नीतियों के कोड के संबंध में कम्पनी की किसी नीति या विधिक या विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में जो मेरे कार्य से जुड़ी हुई हैं, कोई प्रश्न है तो मैं जानता हूँ कि मैं संबंधित कम्पनी के निदेशक या कम्पनी सचिव से परामर्श ले सकता हूँ यह जानते हुए कि मेरे प्रश्न या रिपोर्ट गोपनीय रखे जाएंगे ।

आगे मैं प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के अंत से 30 दिनों के भीतर कम्पनी को वार्षिक आधार पर निम्नलिखित पुष्टि प्रदान करने का वचन देता हूँ -

पुष्टिकरण

(प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक वार्षिक आधार पर कम्पनी के बोर्ड सदस्यों / वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा)

मैंने -------------------------------- (नाम) ----------------------------(पदनाम), बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यावसायिक आचार और नीतियों के कोड को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा एतद्द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैंने इसका पालन किया है तथा 31 मार्च, ------------------ को समाप्त वर्ष के दौरान कोड के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है ।

हस्ताक्षर -------------------

नाम ----------------------------

पदनाम -----------------

रोजगार संख्या ------------------

टेलीफोन संख्या -------------

स्थान --------------------

तारीख -----------------